तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मंजूकंवर बनाम रामसिंह अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –28/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19/07/24

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही आदेश हो चुके है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थिया के नाम से ग्राम रोही दुलमेरा के खसरा नं 289 में 2.10 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं 1 रामसिंह के नाम से खसरा नं 288 में 2.11 हैक्टेयर व अप्रार्थी सं 1 के दक्षिण में अप्रार्थी सं 2 किशोरसिंह के नाम से खसरा नं 287 में 2.80 हैक्टेयर भूमि है। उक्त अप्रार्थी सं. 2 के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 286 में नहर है जिसके पटडा पर आम रास्ता बना हुआ है जिस पर प्रार्थीया के अलावा आस पडौस के काश्तकार नियमित आवागमन पिछले करीब 25–30 वर्षों से करते चले आ रहे है। उक्त नहर के पटडा के रास्ता से एक रास्ता अप्रार्थी सं 2 के खेत खसरा नं. 287 में से होते हुए अप्रार्थी सं 1 तक पहुचता है तथा वहा से अप्रार्थी सं. 1 के खेत मे से होते हुए प्रार्थीया के खेत मे पहुचता है उक्त रास्ता भी करीब 25–30 सालो से चलता आ रहा है। प्रार्थीया के खेत में आने–जाने हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थीया के खेत मे जाने हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने से उक्त रास्ता को प्रार्थीया पिछले 25–30 वर्षो से अपने खेत मे बुवाई काश्र एवं सामान लाने ले जाने हेतु उपभोग करती चली आ रही है। चूकि यहह भूमि सिंचित है इस कारण प्रार्थीया को उक्त रास्ते से आये दिन आना जाना पडता है यह कि दिनांक 20.02.2018 को प्रार्थीया अपने पति के साथ खेत में उक्त रास्ता से होकर जा रही थी तो अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने यह कहते हुए रास्ता रोक लिया कि हमारे खेत में से रास्ता नहीं है आप लोग और कहीं से आओ तब प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति ने कहा कि इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। हमें खेती कार्य व खेत में आने जाने के लिये उक्त रास्ता की आवश्यकता है आप से मैं विनती करता हूँ कि जिस तरह से पिछले सालों से आ जा रहा हूँ उसी तरह मुझे आगे भी उक्त रास्ता से आने जाने दे परन्तु उक्त बात का अप्रार्थीगण पर कोई असर नहीं हुआ तब अप्रार्थीगण ने कहा कि उक्त बातो से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे खेत तो रास्ता स्वीकृत करवा लो हम अपने खेत मेंसे आईन्दा से नहीं गुजरने देंगें। प्रार्थीया को अपने उक्त अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 पडौसी काश्तकारों ने भी अपने खेत में आने जाने हेतु मना करने के कारण प्रार्थीया को रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यता है। प्रार्थीया के उक्त खसरा नं. 287 व 288 में से संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार मौका पर चल रहे रास्ता को 16 फुट चौडाई में जितना रास्ता बनता है को रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है बदले में नियमानुसार प्रतिकर देने को तैयार है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त खेत खसरा नं. 287 व 288 मे नक्शा में दर्शाये अनुसार मौका पर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करने के आदेश फरमाने की कृपा करावे। राज पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट मुताबिक खसरा नम्बर 286 मे गैर मुमकिन नहर दर्ज है खसरा नम्बर 287,288,289 मे जाने के लिये रास्ता नहीं है।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम दुलमेरा, आंशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 289 तादादी 2.10 हैक्टेयर कृषि भूमि तक जाने के लिए खसरा नम्बर 287,288 मे से चाहा गया है जबकि चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 286 तक पहुंचता है जो मुताबिक पटवारी रिपोर्ट गैरमुमकिन नहर दर्ज है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत वांछित रास्ता किसी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज मार्ग तक ही दिया जा सकता है जबकि जरिये प्रार्थना पत्र 251 ए नहर के पटडे तक मार्ग चाहा गया है जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आने के कारण दिया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र 251 ए खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र)

उपखण्ड अधिकारी

लूणकरणसर